07-1-25

पत्रावली पेश हुई विपक्ष पृथक से
निस्तारण जाकर स्पेशल न्यायालय से
जुर्माना राशि विपक्ष जीत पृथक से
तहसीलदार अलवर को वास्ते
पालनार्थ भिजवाई जाकर बाद
तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर
होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी –श्री प्रतिक जुईकर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/1	02.01.2023	136 LR Act	07-01-2025

उनवान

1:–बसंतीलाल सैनी पुत्र छुटटनलाल सैनी जाति माली निवासी विवेकानन्द नगर, सुन्दरनाथ की बावडी के पारा, तहसील व जिला अलवर।

प्रार्थी

बनाम

1:–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 0.84. 57 रकबा 0.46, 61 रखना 0.49, 62 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.94 का 1/4 हि. वाकेग्राम नंगलासमावदी तहसील अलवर जो कि प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी है। यह है कि उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 0.84, 57 रकबा 0.46, 61 रकबा 0.49, 62 रकबा 0.15 हेक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.94 का 1/4 हि. वाके ग्राम नंगला समावदी तहसील अलवर प्रार्थी के नाम जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 25.09.2003 से राजस्व रिकार्ड में मुताबिक, बयनामा पप्पू सैनी पुत्र छुटटनलाल सैनी कौम माली सा. विवेकानन्द नगर, सुन्दरनाथ की बावडी के पास, अलवर खातेदार दर्ज हुआ है जबकि मेरे अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड में मेरा नाम बसंतीलाल सैनी पुत्र छुटटनलाल सैनी जाति माली निवासी विवेकानन्द नगर, सुन्दरनाथ की बावडी के पास, तहसील अलवर दर्ज है यह है कि मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 0. 84, 57 रकबा 0.46, 61 रकबा 0.49, 62 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.94 है0 का 1/4 हि. वाके ग्राम नंगला समावदी तहसील अलवर में प्रार्थी का नाम पप्पू सैनी पुत्र छुटटनलाल सैनी के स्थान पर मुताबिक आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र बसंतीलाल सैनी पुत्र छुटटन लाल सैनी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट क्रमाक राजस्व/2023/1220 दिनॅाक 12-5-2023 अनुसार प्रार्थी बसन्तीलाल पुत्र श्री छुट्टनलाल सैनी निवासी विवेकानन्द नगर सुन्दरनाथ की बावडी अलवर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट बजनवान बसन्तीलाल बनाम सरकार प्राप्त हुआ जिसमें प्रार्थी द्वारा अपने नाम में नाम की शुद्धि चाही गई है। जिसके संबंध में मौके व रिकॉर्ड की जांच रिपोर्ट जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत है-

मुताबिक जमाबंदी हाल आराजी खसरा नं. 56 रकबा 0.84 है०, खसरा नं. 57 राहवा 0.46 है०. वासरा नं. 61 रकबा 0.49 है०, खसरा नं. 62 रकबा 0.15 है० कुल किता 4 कुल रकबा 1.94 है० वाके ग्रास नंगला समावदी में पप्पू राम पुत्र छुट्टन हिस्सा 1/4 जाति माली सा. विवेकानन्द नगर सुन्दरनाथ की बावडी अलवर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जो मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 25 09.2003 से खरीदशुदा भूमि है जिसका नामान्तकरण मुताबिक रजिस्ट्री के सही दर्ज किया गया है। अर्थात राजस्व रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं है, उक्त आराजी में मौके पर कब्जा संबंधी कोई वाद-विवाद नहीं है तथा किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है प्रार्थी उक्त आराजी में जर्ये आधार कार्ड संख्या 441189896959 एवं नोटेरीशुदा शपथ पत्र के अनुसार बसन्तीलाल पुत्र छुट्टनलाल दर्ज करवाना चाहता है जिसके संबंध में ग्राम पंचायत ननंगला रायसिस के सरपंच द्वारा दिनांक 10.12.2022 तथा नगर परिषद अलवर के पार्षद वार्ड नं 34 द्वारा दिनांक 10.12.2022 के अनुसार बसन्तीलाल सैनी उर्फ पप्पु सैनी दोनों एक ही व्यक्ति का नाम होना बताया गया है प्रार्थी मुताबिक आधार कार्ड, शपथ पत्र, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा वार्ड पार्षद वार्ड नं. 34 की लिखित के अनुसार अपना नाम पप्पू सैनी के स्थान बसन्तीलाल सैनी करवाना चाहता है अतः जवाब श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न प्रा0 पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं उप तहसीलदार बहादरपुर तहसील अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया रिपोर्ट मे स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी आयकर विभाग का पैन कार्ड संख्या EEJPS0711H एंव आधार कार्ड स. 4411 8989 6959 एव भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र RJ/08/063/495132 तथा जन-आधार कार्ड स0 5002743627 एंव राशनकार्ड स0 00673 मे प्रार्थी का नाम बसंतीलाल सैनी पुत्र छुटटन लाल सैनी अंकित है

ग्राम पंचायत नंगला रायसीस प0 स0 उमरैण प्रमाण पत्र स0 01 दिनॅाक 10-12-2022 मे अंकन किया गया है कि बसंतीलाल उर्फ पप्पु सैनी दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है वसन्ती लाल को स्थानीय नाम पप्पू सैनी के नाम से भी जाना जाता है तथा इन्ही कथनो के जेसा प्रमाण पत्र पार्षद वार्ड स0 34 नगर परिषद अलवर के द्वारा जारी किया गया है जिसमे भी बसंतीलाल उर्फ पप्पु सैनी दोनो एक ही व्यक्ति के

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

नाम है बसन्ती लाल को स्थानीय नाम पप्पू सैनी के नाम से भी जाना जाता है अंकित किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि हाल आराजी खसरा नं. 56 रकबा 0.84 है0. खसरा नं. 57 रकवा 0.46 है0. खसरा नं. 61 रकबा 0.49 है0, खसरा नं. 62 रकबा 0.15 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.94 है0 वाके ग्राम नंगला समावदी तहसील अलवर में पप्पू पुत्र छुट्टनलाल हिस्सा 1/4 मे अंकित " **पप्पू सैनी के स्थान पर बसन्ती लाल सैनी** "दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जावे शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 07-1-2025 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर